को पेश हो।

4/3/19 उभय पक्ष उप/उपस्थित वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा दर्ज में दिनांक 13/4/17 को प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत प्रकरण को नोटप्रेस में निरस्त किये जाने का हवाला देते हुए निवेदन किया कि वर्तमान में प्रकरण को चलाने की आवश्यकता नहीं रही है इस कारण प्रकरण को Not Press में खारिज फरमाया जावें। सहमति स्वरूप आदेशिका पर Not Press अंकन कर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। उपरोक्त वर्णन के परिप्रेक्ष्य में उभय आवेदन पत्र दिनांक 13/4/17 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी स्तर पर Not Press किये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर

Not pressed
4/3/19

Scanned by CamScanner